

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 888

दिनांक

प्रार्थीगण :-

1. गिरधारी पुत्र मोतीराम, जाति जाट,
निवासी बुड़ियों का तला, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण :-

1. चूनाराम 2. शेराराम पि. शेम्भूराम 3. भोमाराम 4. भंवरी पि.
वीरमाराम 5. घमूदेवी पत्नि वीरमाराम 6. हुकमाराम
7. हरदानराम पि. पेमाराम 8. पोकराराम 9. मोटाराम पि.
गंगाराम 10. पन्नाराम पुत्र खेमाराम 11. मोडाराम
12. हरूराम 13. उर्जाराम पि. सालूराम 14. चोलाराम पुत्र
नेनूराम 15. राजूराम पुत्र जगरूपाराम 16. चौखाराम पुत्र
सिमरथाराम 17. चूनाराम पुत्र जैताराम 18. गुलाराम पुत्र
पदमाराम 19. मानाराम पुत्र जेताराम 20. केसाराम
21. धुडाराम पि. मोतीराम 22. खंगाराम पुत्र शेम्भूराम
23. रायमलराम पुत्र लुम्भाराम 24. हडुमानराम
25. भूराराम 26. अचलाराम पि. केसराराम 27. तुलछाराम
पुत्र बालाराम 28. जोगाराम पुत्र कुम्भाराम, जातियान
जाट, निवासी लीलसर दखणाद, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 97/2019

दिनांक : 18.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा बुड़ियों का तला के खेत खसरा सं. 653/393 रकबा 63.16 बीघा एवं खसरा सं. 695/627 रकबा 08.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 887 to 890

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गिरधारी
3. विप्रार्थीगण चूनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन अधिकारी
दिनांक 19/04/2022



(भाग II)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
चौहटन OK